न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी –श्री भूपेन्द्र कुमार यादव ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन :– 15/2017 अन्तर्गत धारा 251 'ए' Rt Act

प्रार्थीगण :– 1. रामकिशन पुत्र हरजीराम जाति विश्नोई निवासी गौड़ा तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :– 1. मेहराराम पुत्र पूनमाराम 2. अनाराम पुत्र पूनमाराम 3. धीराराम पुत्र पूनमाराम 4. भगाराम पुत्र जुगताराम 5. चेतनराम पुत्र जुगताराम 6. डूंगराराम पुत्र मगाराम 7. मोहनराम पुत्र मगाराम 8. झीमों देवी पत्नी मगाराम 9. धुड़ी देवी पत्नी जुगताराम 10. रिड़मल पुत्र माधा जातियान कुम्हार निवासी गौड़ा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर

वकील प्रार्थीगण :– श्री बाबूलाल विश्नोई

विप्रार्थीगण वकील :– श्री नरेश भादू

निर्णय

दिनांक 06.06.2018

प्रार्थीगण रामकिशन पुत्र हरजीराम जाति विश्नोई निवासी गौड़ा तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी / संशोधन अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी सदभावी काश्तकार है। प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत खसरा सं. 791/197 रकबा 64.15 बीघा, ख.स. 178 रकबा 22.11 बीघा मौजा गौड़ा, पटवार क्षेत्र गौड़ा तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर में स्थित है। प्रार्थीगण द्वारा निर्धारित फार्म में आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि उसकी उक्त जोत पर आने जाने हेतु विप्रार्थीगण के खसरा सं. 201 रकबा 63.15 बीघा मौजा गौड़ा के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। अतः प्रार्थीगण को रास्ता दिया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को नोटिस जारी किये गए तथा प्रार्थी के अधिवक्ता के निवदेन पर तहसीलदार को मौका रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा गया।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत / कोर्ट कैम्प गौड़ा में दिनांक 06.06.17 को पेश हुई। वकील उभ्यपक्ष कारण उपस्थित। तहसीलदार सेड़वा से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जो पत्रावली शामिल की गई। मौका रिपोर्ट वकील प्रार्थी द्वारा स्वीकार की गई। वकील प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अध्ययन अवलोकन किया गया।

चुंकि प्रस्तुत आवेदन एवं मौका रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है और यह केवल सुविधा जनक उपभोग के लिए नहीं है। प्रार्थी द्वारा रास्ते की मांग की गई है। इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है। जैसा कि मौका रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी के खेत से गांव , आबादी, बस स्टेशन , स्कूल आदि तक आवागमन का कोई अन्य रास्ता नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

अतः प्रार्थी की मांग उचित प्रतित होती है और प्रार्थी को जो रास्ता दिया जाना है न्याय संगत है। प्रार्थी को जिन खसरों से रास्ता दिया जाना है। उसका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	खसरा संख्या	रकबा बीघा	किस्म	रास्ते की चौड़ाई फीट में	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि बीघा	मौजा	खातेदार का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	201	63.15	बा. सोयम धोरा	20	0.12	गौड़ा	मेहराराम, अनाराम, धीराराम, पि. पुनमाराम, भगाराम, चेतनराम, पि. जुगताराम, डूंगराराम, मोहनराम पि. मगाराम, झीमों देवी पत्नी मगाराम, धुड़ी देवी पत्नी जुगताराम, रिड़मल पुत्र माधा कौम कुम्हार

तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय फर्द मौका रिपोर्ट एवं सलंग्न मौका नक्शा ट्रेस व फर्द मौका में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रार्थीगण द्वारा वर्णित उपरोक्त खसरा के अंदर से जो रास्ता चाहा गया है वह आंशिक नक्शा इस में लाल रंग से दर्शाया गया 20 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण को दिया जाता है और इस प्रस्तावित नए मार्ग में कोई मकान व कीमती पेड़ और न ही किसी प्रकार का बेरा/टांका बना हुआ है।

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी/संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) (a) में स्पष्ट है कि अगर समझौते से क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं होता है तो जिला स्तरीय कमेटी/ डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थीगण को रास्ता दिया जा सकता है। और अन्य कोई पेड़ फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

प्रस्तुत आवेदन में प्रस्तावित नए रास्ते में कोई मकान व कोई कीमति पेड़ या अन्य कोई संरचना नहीं है। अतः प्रभावित (पक्षकारों) / विप्रार्थीगण को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में प्रार्थीगण द्वारा देय होगी और प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित पक्षकारों को दी जाने वाली राशि नए रास्ते के लिए प्रस्तावित समाविष्ट भूमि के रकबे की डीएलसी द्वारा निर्धारित दर से दौगुणा राशि के बराबर होगी। डीएलसी द्वारा निर्धारित निर्णय दिनांक की ही मान्य होगी और इसी आधार पर प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण/प्रभावित पक्षकारों को भुगतान करना अनिवार्य होगा।

प्रार्थी के आवेदन की गंभीरता व आत्यांतिक आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए उनका आंवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1) – (b) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फर्द मौका एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस लाल रंग से दर्शाया गया 20 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण के पक्ष में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। मौका रिपोर्ट मय

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

नक्शा ट्रेस व फर्द मौका निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे। तथा प्रार्थी को उपरोक्त खसरान में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :—

1. तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में सलंग्न मौका नक्शा ट्रेस में लाल रंग दर्शाया गया प्रस्तावित नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे 0.12 बीघा की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित (लागू) डीएलसी 31500/— रूपये प्रति बीघा की दो गुणा राशि 18900 रूपये /— बनते है। जिसको तहसीलदार विप्रार्थीगण को नियमानुसार वितरित कर सात दिवस में रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी। जिसमें प्रत्येक पक्षकार को देय राशि की अलग अलग गणना की जायेगी।
2. तहसीलदार द्वारा गणना उपरान्त बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थी द्वारा प्रभावित पक्षकारों (विप्रार्थीगण) को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में किया जो डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा के बराबर होगी।
3. प्रार्थी द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थीगण (प्रभावित पक्षकारों) को प्रदान करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। तहसीलदार द्वारा इस बात का विनिश्चय किया जाएगा कि विप्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हो चुकी है। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर क्षतिपूर्ति राशि लेने से इनकार करता हो तो प्रार्थीगण द्वारा यह राशि तहसीलदार को प्रस्तुत की जावेगी । क्षतिपूर्ति राशि तहसील में जमा करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। जिसे तहसीलदार द्वारा विप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही की जावेगी।
4. नए प्रस्तावित 20 फीट रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में **"रास्ता"** के रूप में अभिलिखित की जायेगी। जो कि सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रयुक्त होगा।
5. प्रार्थी को उक्त 20 फीट चौड़े रास्ते में केवल रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होंगे।
6. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरों में से कम करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तों की पालना के अध्याधीन ही प्रार्थी को नया तथा 20 फीट चौड़ा रास्ता दिए जाने का आदेश आज दिनांक 06.06.18 को राजस्व कैम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प गौड़ा में दिया गया। निर्णय पालना हेतु तहसीलदार सेड़वा को लिखा जावें। पत्रावली फैसला शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 06.06.2018 को लोक अदालत कोर्ट कैम्प गौड़ा मे सुनाया गया।

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.)
चौहटन

मौका फर्द

आज दिनांक 1/8/2017 को श्रीमान न्यायालय सहायक
कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन के राजस्व आवेदन
सं० 15/2017 अनवान रामकिशन V/S मेहराराम वगैरह अन्तर्गत
धारा 251 A (R.T. Act.) मे मौका रिपोर्ट बाबत श्रीमान ना०
सेड़वा के आदेश क्रमांक/LR/2017/ दिनांक 15/7/2017 की
पालना मे ग्राम गोड़ा के ख०न० 791/174 रकबा 64-12 बीघा
बा० सो० मे आवागमन हेतु प्रतिवादीगण मेहराराम वगैरह के
खेत ख०न० 201 रकबा 63-15 बीघा बा० सो० मे से रास्ता
हेतु मौका जांच करने हल्का पटवारी गोड़ा के साथ मौके
पर पहुंचा।

मौके पर वादी रामकिशन पु० हरजीराम अपने पड़ौ
के साथ उपस्थित। सर्व प्रथम ग्राम गोड़ा से ओगाला जाने
वाली पक्की सड़क से पूर्व दिशा मे ग्राम गोड़ा के ख०न० 540/20
रकबा 2 बीघा गै०मु० स्कूल - रा० प्रा० वि० मेहराणियों की ढाणी
(गोड़ा) के नाम से राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है। इस स्कूल भवन
तक पहुंचने के लिए ख०न० 538/210 रकबा 0-07 बा० सो० व ख०न०
536/207 रकबा 0-08 बा० सो० कुल 0-15 बीघा भूमि रास्ता
के प्रयोजनार्थ समर्पण शुदा है जिस पर सीमेन्ट कंकरीट सड़क
(C.C. सड़क) बनी हुई है। इसके बाद ख०न० 540/204 रकबा 2बी
गै०मु० स्कूल भवन के आगे एवं ख०न० 205 की सीमा प
C.C. एवं ग्रेवल सड़क का निर्माण ख०न० 201 की सीमा तक
किया हुआ है उक्त ग्रेवल व C.C. सड़क का निर्माण
ग्राम पंचायत गोड़ा द्वारा नरेगा योजना मे किया गया है।
ग्राम पंचायत गोड़ा का सड़क निर्माण का प्रमाण-पत्र संलग्न है।

वादी रामकिशन एवं रा० प्रा० वि० मेहराणियों की ढाणी
(गोड़ा) के बीच मे ख०न० 201 रकबा 63-15 बीघा बा० सो०
पड़ता है। वादी के परिवार के बच्चे स्कूल मे पढ़ने हेतु जाना
चाहते है, परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा रास्ता कराना हो जायेगा के
भय से बन्द कर दिया है। रामकिशन के खेत व स्कूल के
बीच मात्र 80 गज की दूरी है। वादी 20 फीट का रास्ता चाहता
है। जो 3 गज करीब बनता है। इस प्रकार रास्ता के प्रयोजन
हेतु 0-12 बीघा (बारह बिस्वा) भूमि की वादी को आवश्यकता

(P.T.O.)

जिसकी वादी नियमानुसार कीमत देने को तैयार है। व
चाहे गये रास्ता की भूमि पर कोई कीमती वृक्ष,
मकान आदि नही है। मौके पर भूमि खाली है। बाजरा व
ग्वार की फसल मौके पर काश्त है। वादी रामकिशन के खेत
ख०नं० 791/174 रकबा 64-12 बीघा से स्कूल भवन तक पहुंचने
मे इससे कम दूरी का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध
नही है। मौके पर प्रतिवादीगण को इतला करने के पश्चात
भी उपस्थित नही हुए। प्रतिवादीगणों की रकबाती ढाणियो ख०नं० 201 मे
होने पर भी रास्ता की जांच के दौरान कोई खातेदार मौके पर
उपस्थित नही हुआ। महिलाऐ एवं बच्चे अपने खेत मे खेती का
कार्य कर रहे थे। रिड़मल S/o माधा का प्रतिनिधि स्थगन की प्रति
लेकर मौके पर आया तथा स्थगन की प्रति रा०अ० सं० 160/17
न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट-चौहटन की दिनांक 2/3/2017 की
प्रति पेश की। जो संलग्न है।

प्रपत्र अ का विवरण

क्र०सं०	खातेदार का नाम व पता	ख० नं०	रकबा (बीघा मे)	रास्ते की चौड़ाई फीट मे।	रास्ता मे समाविष्ट भूमि का रकबा	DLC दर प्रति बीघा	रास्ता मे समाविष्ट भूमि की कीमत	भूमि की किस्म	वि० वि०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	मेहराराम, अनाराम, भीराराम पि० पूनमाराम मगाराम, चेतनराम पि० जुगताराम, डूंगराराम, मोहनराम पि० मगाराम, झीमोदेवी पत्नी मगाराम, धूड़ीदेवी पत्नी जुगताराम रिड़मल पुत्र माधा कौम कुम्हार सा० देह खातेदार	201	63-15	20 फीट	0-12 बीघा	31500/-	18900/- DLC की दुगुनी दर से कीमत = 37800/-	बा० सो०	रास्ता की कीमत मे भुगतान योग्य राशी = 37800/-

वादी एवं उसके पड़ौसी खातेदारान के रुबरु मौके पर
मौका फर्द तैयार की जाकर उपस्थित के हस्ताक्षर एवं
अगूंठा करवाये। प्रत्येक प्रतिवादीगणो के हिस्से की

(P-T-O-)

गणना निम्न प्रकार है—

क्र.सं.	नाम ग्राम	ख० नं०	रकबा बीघा में	किस्म भूमि	रास्ता की चौड़ाई फीट	प्रस्तावित रास्ता की भूमि रकबा	खातेदारान का नाम मय वल्दियत एवं हिस्सा	खातेदार के बंट मे आने वाली राशी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	गोड़ा	201	63-15 बीघा	बा० सो०	20 फीट	0-12 बीघा	1- मेहराराम / पूनमाराम 1/9 है	4200-
							2. अनाराम / ~~[illegible]~~ पूनमाराम 1/9 है	4200-
							3. धीराराम / पूनमाराम 1/9 है	4200-
							4. मगाराम / जुगताराम 1/12 है	3150-
							⑤ चेतनराम / जुगताराम 1/12 है	3150-
							⑥ धूड़ीदेवी W/o जुगताराम 1/12 है	3150-
							⑦ डूंगराराम / मगाराम 1/36 है	1050-
							⑧ मोहनराम / मगाराम 1/36 है	1050-
							⑨ झमीदेवी W/o मगाराम 1/36 है	1050-
							⑩ रिड़मल S. माधा 1/3 है	12600-
							योग =	37800-

संलग्न नक्शा मे बरंग लाल से दर्शायी गयी भूमि रास्ता ~~की~~ हेतु प्रस्तावित है/ बरंग गुलाबी C.C. सड़क एवं बरंग पीला ग्रेवल सड़क का ~~निर्माण पूर्व में जरिये~~ के तहत किया जा चुका है।

फर्द मौका पढ़कर सुनायी, सुन-समझकर उपस्थित ने हस्ताक्षर एवं अंगूठा किये।

1-8-2017

ILR - सोनड़ी

पटवारी गोड़ा

रामकिशन

सदराम रमेश रामलाल

बिरधाराम

मोहन राजुराम

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

वगदूराम

नक्शा ट्रेस मौजा - गौड़ा - तहसील - सेड़वा जिला - बाड़मेर

1 इंच = ८० गट्ठा

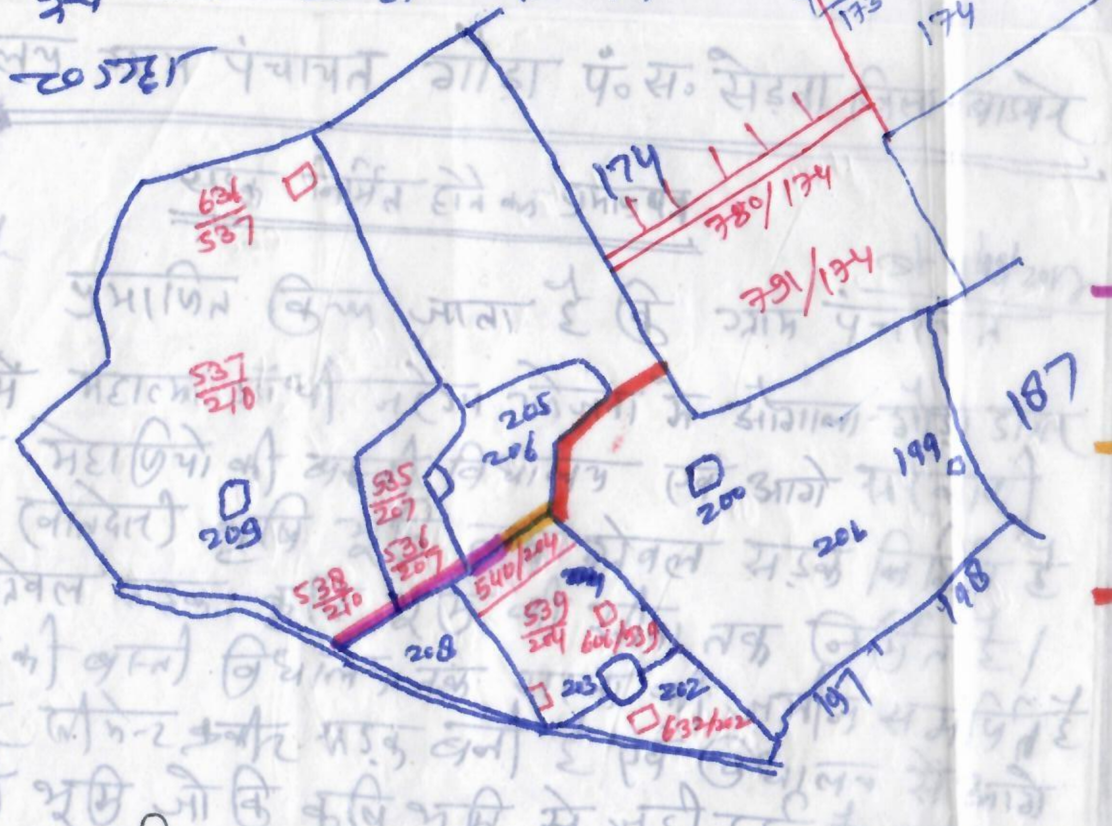

संकेत

बरंग गुलाबी भूमि समर्पित शुदा है तथा मौके पर C.C. सड़क का निर्माण हो चुका है।

बरंग पीला - ग्रेवल सड़क का निर्माण हो चुका है।

रास्ता हेतु प्रस्तावित भूमि 0-12 बीघा।

1-8-2017
ILR सोनड़ी

ग्रामकिशन

सहराम

सत्य प्रतिलिपि

राजूराम

श्यामलाल

रमेश

P.3 क्रमांक 792/15-07-17 पर दर्ज

मोहन

निर्विरधाराम

15-07-17

पटवारी गौड़ा

बगडूराम

पटवारी गौड़ा
तह सेड़वा (बाड़मेर)